मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट से आयोजन स्थल तक समिट की तैयारियाँ देखीं

उद्घाटन सत्र के कार्यक्रम, अतिथियों की बैठक व्यवस्था आदि पर अन्तिम निर्देश दिये

जयपुर, 28 नवम्बर। प्रदेश में आगामी 9 से 11 दिसम्बर को आयोजित होने वाले "राइज़िंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट" के सफल आयोजन के लिए राज्य सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इस कड़ी में स्वयं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरूवार को समिट की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बस में बैठकर जयपुर शहर का दौरा किया।

- प्रमुख सचिव उद्योग व वाणिज्य, अजिताभ शर्मा ने राइज़िंग राजस्थान की समस्त तैयारियों की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को विस्तृत जानकारी दी। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, राज्य मंत्री के.के. विश्नोई, मुख्य सचिव सुधांश पंत तथा कई वरिष्ठ अधिकारी मुख्यमंत्री के दौरे में उनके साथ थे।
- समिट के दौरान होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की व्यवस्था देखने के लिए मुख्यमंत्री जयमहल होटल भी गये।

मुख्यमंत्री ने जयपुर एयरपोर्ट से आयोजन स्थल, जयपुर एग्ज़िबिशन एंड कन्वेन्शन सेंटर (जे.ई.सी.सी.) तक विभिन्न तैयारियों का अवलोकन किया तथा अधिकारियों को समिट के ऐतिहासिक आयोजन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

शर्मा ने इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार अपने पहले वर्ष में ही राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन करने जा रही है। राजस्थान में निवेश की अपार संभावनाएं हैं तथा यह आयोजन राज्य की औद्योगिक दिशा को गति देने में मील का पत्थर साबित होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समिट के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आएंगे। ऐसे में राज्य सरकार तैयारियों एवं व्यवस्थाओं को पूरा करने में मिशन मोड में लगी हुई है।

मुख्यमंत्री ने आयोजन स्थल जे.ई.सी.सी. में उद्घाटन सत्र के दौरान आयोजित होने वाली गतिविधियों, अतिथियों की बैठक व्यवस्था तथा अन्य तैयारियों के विषय में जानकारी लेते हुए, अधिकारियों को तैयारियों को अन्तिम रूप देने के निर्देश दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री समिट के दौरान होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की व्यवस्थाओं का अवलोकन करने के लिए जयमहल पैलेस भी गए। मुख्यमंत्री को प्रमुख शासन सचिव उद्योग एवं वाणिज्य, अजिताभ शर्मा ने समिट की तैयारियों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जयपुर शहर का दौरा किया और अधिकारियों को समिट के ऐतिहासिक आयोजन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

इस दौरान, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, उद्योग एवं वाणिज्य राज्यमंत्री के के विश्नोई, मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय शिखर अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह आनंद कुमार, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय आलोक गुप्ता सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित थे।

दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट जायेंगे

नयी दिल्ली, 28 नवंबर। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले शीर्ष न्यायालय के कॉलेजियम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनमोहन को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की गुरुवार को सिफारिश की।

शीर्ष अदालत की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, कॉलेजियम की 28 नवंबर को हुई बैठक में न्यायमूर्ति मनमोहन का नाम सर्वसम्मति से चुना गया। न्यायमूर्ति मनमोहन को 13 मार्च, 2008 को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और वे 29 सितंबर, 2024 से उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं।

चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम की ओर से एक बयान में उल्लेख किया गया है कि न्यायमूर्ति मनमोहन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संयुक्त अखिल भारतीय वरिष्ठता में क्रम संख्या दो पर हैं। इसके साथ ही, वे दिल्ली उच्च न्यायालय में सबसे वरिष्ठ हैं।

उदयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट पर आयकर के छापे

आयकर विभाग ने उदयपुर, बांसवाडा, जयपुर, मुम्बई तथा गुजरात में 23 ठिकानों पर एक साथ कार्यवाही की

उदयपुर, (कासं)। उदयपुर शहर में गुरूवार को इनकम टैक्स की कार्यवाही से हड़कंप मच गया। उदयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक कंपनी के उदयपुर शहर सहित कुल 23 ठिकानों पर गुरूवार को अलसुबह कार्यवाही शुरू हुई। इस कार्यवाही के लिए टीमें सुबह पांच बजे ठिकानों पर पहुंच गई थीं। आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा ने उदयपुर में उदयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट, इनसे जुड़े सिरोया ग्रुप के विजेन्द्र सिरोया और इनकी कंपनियों सहित, तीन प्रतिष्ठानों पर आयकर कार्रवाई की है।

आयकर विभाग ने गुरुवार सुबह उदयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक के उदयपुर, बांसवाडा, जयपुर सहित मुंबई और गुजरात स्थित कार्यालय, उदयपुर के घर सहित 23 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की, वहीं, इनसे कनेक्टेड पॉलीटेक्स एंड मार्बल व्यापारी विजेन्द्र सिरोया की कंपनियों के कार्यालय सहित, अन्य ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन किया है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट कंपनी द्वारा दिये गये डोनेशन के चलते उदयपुर का एक बड़ा एन.जी.ओ. भी जांच के दायरे में आ गया है।

- उदयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट के टीकम सिंह राव पर अवैध माल परिवहन के आरोप हैं।

आयकर विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार उदयपुर गोल्डन लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट के मालिक टीकम सिंह राव हैं। इनके पुत्र गगन सिंह राव किंग सेना अध्यक्ष हैं। वहीं, सिरोया पॉली प्लास्ट और सिरोया सीमेंट एंड कैमिकल इंडस्ट्री के मालिक विजेन्द्र सिरोया हैं। आयकर विभाग की टीमों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान कई दस्तावेज जुटाए हैं। करोड़ों की अघोषित संपत्ति का खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। आयकर कार्रवाई जारी है, हालांकि अब तक आयकर विभाग ने यह खुलासा नहीं किया है कि कितनी अघोषित संपत्ति का खुलासा हुआ है।

प्राप्त जानकारी अनुसार, उदयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट के टीकम सिंह राव पर अवैध ट्रांसपोर्टेशन का आरोप है। आयकर विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, अवैध माल परिवहन की शिकायत मिलने के बाद सत्यापन कराया गया था। टीम ने मौके पर पहुंच कर कंपनी के काम के तरीके की जांच की। इसमें गड़बड़ी मिली। मामला सही पाए जाने पर टीम ने रेड की तैयारी की। इसके बाद गुरूवार को इनकम टैक्स विभाग की ओर से राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में एक साथ कार्यवाही शुरू की गई। उदयपुर में 16 ठिकानों के साथ गुजरात में 2, मुंबई में एक, बांसवाडा में तीन और जयपुर में एक टीम ने जांच की। इस कार्यवाही में 150 से ज्यादा लोग टीम में शामिल हैं।

आयकर विभाग की टीमों ने उदयपुर में कुल 16 जगहों पर एक साथ कार्यवाही को अंजाम दिया। इसमें उदयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट के कार्यालय के साथ गोदाम व टीकम सिंह राव का निवास शामिल हैं। आयकर विभाग की टीमें एक साथ सभी जगहों पर पहुंचीं। इसमें सेक्टर 13 स्थित उनके निवास के साथ कुल तीन घरों में सर्च अभियान चलाया गया।

इसके अलावा उदियपोल स्थित कार्यालय के साथ मावली रोड पर बने एक रिसोर्ट में कार्यवाही को अंजाम दिया गया। इधर, बांसवाडा के कॉमर्शियल कॉलोनी स्थित ऑफिस में भी टीम पहुंची है। इस ऑफिस से संबंधित काम भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष गोविंद सिंह राव देखते हैं। गोविंद सिंह राव का मुख्य व्यवसाय ट्रांसपोर्ट का है। उधर, रेड से संबंधित जानकारी देने से आयकर विभाग के अधिकारी बचते नजर आए।

सी.एस. को तलब कर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दिए। अदालत ने कहा कि एकलपीठ ने मामले को जनहित याचिका की तरह से देखते हुए आदेश जारी कर दिए और सरकार पर एक लाख रुपए का हर्जाना भी लगा दिया।

अपील में महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने अदालत को बताया कि एकलपीठ के समक्ष आर.एस.आर.टी.सी. के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, जिसकी राज्य सरकार पक्षकार भी नहीं थी। इसके बावजूद, एकलपीठ ने न केवल मामले में मुख्य सचिव को तलब किया, बल्कि 2015 के एक आदेश का हवाला देते हुए, सरकार पर एक लाख रुपए का हर्जाना भी लगा दिया।

ऐसे में एकलपीठ के आदेश को रद्द किया जाए। याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी। दूसरी ओर, राज्य सरकार की ओर से एकलपीठ के समक्ष खंडपीठ के आदेश की जानकारी दी गई। इस पर एकलपीठ ने मामले की सुनवाई आठ सप्ताह के लिए टाल दी।

सी.एम. का पहला संकल्प: उद्घाटन समारोह सौर ऊर्जा से

जयपुर, 28 नवंबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 9-11 दिसम्बर तक आयोजित होने वाले "राइजिंग राजस्थान समिट" के माध्यम से राज्य में औद्योगिक परिदृश्य को एक नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की आर्थिक उन्नति के संकल्प को पूरा करने के लिए जी जान से जुटी हुई है। इसी कड़ी में, हम राइजिंग राजस्थान के सफल आयोजन के लिए आगामी 10 दिनों तक प्रत्येक दिन एक नया संकल्प लेंगे।

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अगले 10 दिन, राइज़िंग राजस्थान के सफल आयोजन के लिए रोज नया संकल्प लेंगे।

शर्मा ने पहला संकल्प लेते हुए कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट का उद्घाटन दिवस पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगा।

उन्होंने कहा कि यह समिट सूरज की ताकत से प्रदेश के विकास में नया सवेरा लाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि प्रदेश में निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए। राज्य सरकार की अनुकूल निवेश नीतियों से, राजस्थान अक्षय ऊर्जा में निवेशकों की पसंद बना हुआ है तथा आज राजस्थान भारत में अक्षय ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर है।

उन्होंने कहा कि हम प्रदेश को 2027 तक ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। शर्मा ने कहा कि इन संकल्पों के माध्यम से, अगले 5 वर्षों में प्रदेश को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाया जाएगा। विकसित राजस्थान-2047 की संकल्प- सिद्धि में राइजिंग राजस्थान का आयोजन मील का पत्थर साबितदवा होगा। मुख्यमंत्री ने समिट के सफल आयोजन में सभी महत्वपूर्ण वर्गों को भागीदार बनने का आव्हान किया।

संसद में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के खिलाफ जबरदस्त प्रचार करते रहे हैं तथा कहते रहे हैं कि जब तक परिवारवादी राजनीति का अन्त नहीं होगा, भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता।

लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी पार्टी ने भी परिवारवादी राजनीति को खत्म करने की दिशा में कदम नहीं उठाये हैं।

नाबालिग का अपहरण...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

किया गया, लेकिन कोई पता नहीं चला। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।

सुनवाई के दौरान, पीड़िता की ओर से अदालत को बताया गया कि वह विकास से बातचीत करती थी। घटना की 11 अप्रैल की रात वह और गजेन्द्र कार लेकर उसके घर आए और उसे जयपुर लेकर चले गए।

इसके बाद विकास उसे सीकर ले गया, जहां से उसे गुजरात ले गए। गुजरात में विकास और भोमाराम ने उसे शराब पिलाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद, वह उसे सिरपुर, किंग गांव और बाद में जयपुर ले आए। इस दौरान, विकास और भोमाराम ने कई बार दुष्कर्म किया। आखिर में उसे यह कहते हुए जयपुर रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया कि वो पन्द्रह दिन बाद आकर उसे ले जाएंगे। रेलवे स्टेशन पर पुलिस और उसके परिजन 31 मई को आकर उसे ले गए।

सुप्रीम कोर्ट ने सी.बी.आई. की याचिका पर यासीन मलिक से जवाब मांगा

सी.बी.आई. ने रुबैया सईद अपहरण से जुड़े गवाहों की जिरह तिहाड़ जेल में करने की याचिका लगाई

नई दिल्ली, 28 नवंबर। उच्चतम न्यायालय ने चार भारतीय वायुसेना कर्मियों की हत्या और 1989 में मुफ्ती मुहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद के अपहरण के मामले से जुड़े गवाहों की जिरह के लिए संबंधित मुकदमा जम्मू से दिल्ली की तिहाड़ जेल में स्थानांतरित करने की केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) की याचिका पर गुरुवार को आरोपी यासीन मलिक से जवाब तलब किया।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया।

- यासीन मलिक आतंकवादी गतिविधियों को आर्थिक सहायता देने के आरोप में तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।

पीठ ने मामले के आरोपी और तिहाड़ जेल में बंद मलिक को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मलिक आतंकवादी गतिविधियों को आर्थिक सहायता देने के लिए तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ के समक्ष कहा कि मामले में मुकदमा स्थानांतरित करने और सह-आरोपियों को पक्षकार बनाने के लिए आवेदन दायर किए गए हैं। मेहता ने कहा कि तिहाड़ जेल में वर्तमान में अदालत चलाने की सुविधा है। उन्होंने अदालत के समक्ष यह भी कहा कि आरोपी भी तिहाड़ जेल में ही बंद हैं।

सी.बी.आई. का पक्ष जानने के बाद न्यायालय ने आरोपी से जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। इससे पहले, 27 नवंबर को शीर्ष अदालत ने सी.बी.आई. से कहा था कि वह मलिक को जम्मू-कश्मीर ले जाने के एजेंसी के विरोध के मद्देनजर आरोपी के खिलाफ गवाहों से जिरह करने के लिए जेल में अदालत स्थापित करने का विकल्प तलाशे। सी.बी.आई. ने जम्मू की एक विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसने मलिक को जिरह के लिए पेश होने का वारंट जारी किया था। विशेष अदालत ने मलिक की शारीरिक उपस्थिति, चार भारतीय वायुसेना कर्मियों की हत्या और 1989 में मुफ्ती मुहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद के अपहरण से जुड़े गवाहों से जिरह के लिए निर्देश दिये थे।

सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को संभल मस्जिद मामले की सुनवाई करेगा

मुद्दा है, संरक्षित स्मारक की सुरक्षा तथा कोर्ट के सर्वे के आदेश का

संभल, 28 नवंबर। उत्तर प्रदेश के संभल कीशाही जामा मस्जिद का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका में निचली अदालत के सर्वे के आदेश को चुनौती दी गई है। याचिका में मांग की गई है कि निचली अदालत के फैसले पर तुरंत रोक लगाई जाए। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बैंच शुक्रवार को सुनवाई करेगी। मुस्लिम पक्ष ने मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना से जल्द सुनवाई की मांग की है। कोर्ट में कहा गया है कि ये असाधारण मामला है इसलिए अदालत को असाधारण कदम उठाना चाहिए।

- एक पक्ष निचली अदालत के सर्वे पर रोक चाहता है, तो दूसरा पक्ष हिन्दू मंदिर को तोड़कर हुए निर्माण को हटा कर मूल मंदिर वापस चाहता है।

संभल मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि 1526 में मुगल शासक बाबर ने एक हिंदू मंदिर को तोड़कर शाही जामा मस्जिद का निर्माण किया था। यह जगह मूल रूप से हरिहर मंदिर की है। ऐसे में मस्जिद का मालिकाना हक हिंदू पक्ष को मिलना चाहिए।

हिंदू पक्ष की तरफ से वकील हरि शंकर जैन ने याचिका दाखिल की थी, जिसे निचली अदालत ने स्वीकार कर लिया और उसी दिन सर्वे के लिए अधिवक्ता नियुक्त करने का निर्देश दिया। अधिवक्ता नियुक्ति होने के बाद उसी दिन मस्जिद का सर्वे भी हो गया। अगले दिन भी प्रशासन की टीम सर्वे के लिए पहुंची। इसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। हिंसा के बाद से संभल का मामला तूल पकड़ चुका है।

मुस्लिम पक्ष का कहना है कि निचली अदालत ने उनका पक्ष सुने बिना ही फैसला सुना दिया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जामा मस्जिद संरक्षित स्मारक है, जिसे प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत 22 दिसंबर 1920 को अधिसूचित किया गया था। सरकार इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक भी घोषित कर चुकी है और यह मस्जिद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की केंद्र की ओर से संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल है। मुस्लिम पक्ष यह भी कह रहा है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत 1947 से पहले बने धार्मिक स्थलों की सुरक्षा की जानी चाहिए।

मोदी को धमकी मामले में महिला गिरफ्तार

मुंबई, 28 नवंबर। मुंबई पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हत्या की धमकी देने वाली फर्जी कॉल करने के आरोप में गुरुवार को मुंबई से 34 वर्षीय एक महिला को हिरासत में लिया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि शहर पुलिस के मुख्य नियंत्रण कक्ष को आज सुबह करीब 09:13 बजे एक महिला का फोन आया, जिसने दावा किया कि मोदी की हत्या की साजिश रची गई है और हत्या के लिए एक हथियार भी तैयार है। जांच के बाद, पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया और उसके बारे में जानकारी कर रही है।

पुलिस के अनुसार, महिला ने 12वीं तक पढ़ाई की है, अविवाहित है और अपनी छोटी बहन के घर के पास एक घर में अकेली रहती है। उन्होंने बताया कि वह छोटी-छोटी समस्याओं के लिए मदद मांगने के लिए पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करती रहती है।

भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया

इस मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर है तथा यह परमाणु पनडुब्बी पर लगेगी

नई दिल्ली, 28 नवंबर। भारतीय नौसेना ने बुधवार (27 नवंबर) को आईएनएस अरिघात से "के-4 बैलिस्टिक मिसाइल" का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर है। भारतीय नौसेना से जुड़े सूत्रों के अनुसार इस मिसाइल टेस्ट के नतीजों का विश्लेषण किया जा रहा है।

भारत इससे पहले जमीन से वार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्च सिस्टम का सफल परीक्षण कर चुका है। ऐसे में यह परीक्षण हमले की दूसरी लाइन तैयार करने के लिए अहम है। भारतीय नौसेना ने अगस्त में विशाखापत्तनम स्थित शिप बिल्डिंग सेंटर में पनडुब्बी (आई.एन.एस. अरिघात) को अपने बेड़े में शामिल किया था। सूत्रों ने बताया कि मिसाइल की पूरी रेंज का टेस्ट करने से पहले डी.आर.डी.ओ. ने पानी के नीचे स्थित प्लेटफॉर्म से मिसाइल दागने के कई टेस्ट किए थे। भारतीय नौसेना अब मिसाइल प्रणाली के और अधिक टेस्ट करने की योजना बना रही है।

- यह मिसाइल डा. अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स, हैदराबाद तथा डी. आर. डी.ओ. की प्रयोगशालाओं तथा उद्योग भागीदारों द्वारा बनाई गई पूर्णतया स्वदेशी मिसाइल है।

नौसेना के पास बैलिस्टिक मिसाइल दागने की क्षमता वाली दो परमाणु पनडुब्बियां हैं, जिनमें आई.एन.एस. अरिहंत और अरिघात शामिल हैं। तीसरी पनडुब्बी भी लॉन्च हो चुकी है।

प्रियंका ने लोकसभा की सदस्यता की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उसके बाद उन्होंने अपने भाई तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को गले लगाया। शपथ लेने के बाद वे कांग्रेस अध्यक्ष से भी मिली तथा उनका भी आशीर्वाद लिया।

केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र की प्रतिनिधि के रूप में शपथ लेने के बाद, पत्रकारों से बात करते हुये उन्होंने कहा, "मेरी प्राथमिकता देश से जुड़े मुद्दों को उठाने की रहेगी।"

उन्होंने कहा कि संविधान से ऊपर कुछ नहीं है तथा वे (कांग्रेस) इसके लिये संघर्ष करती रहेंगी।

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस यह कहती आ रही है कि भाजपा के नेतृत्व वाली एन.डी.ए. सरकार के रहते संविधान खतरे में हैं।

एक प्रश्न के उत्तर में प्रियंका गांधी ने कहा कि लोकसभा में उनके प्रवेश से सदन में राहुल और कांग्रेस पार्टी को और मजबूती मिलेगी।

प्रियंका अभी-अभी सम्पन्न हुये उपचुनाव में, वायनाड से यह लोकसभा सदस्य चुनी गईं हैं। आम चुनाव में उनके भाई राहुल गांधी रायबरेली सीट के साथ ही, वायनाड से भी जीते थे। चुनाव के बाद, उन्होंने रायबरेली सीट अपने पास रखी थी तथा वायनाड सीट खाली कर दी थी। प्रियंका की यह प्रथम चुनावी जीत बहुत चर्चित रही, क्योंकि उन्होंने सी.पी.आई. उम्मीदवार सत्यम मोकरी को 4,10,931 वोटों के बहुत बड़े अन्तर से हराया था। भाजपा की नव्या हरिदास तो बहुत पीछे तथा तीसरे नम्बर पर थीं।

संसद के निम्न सदन (लोकसभा) में प्रियंका के प्रवेश पर उल्लसित सोनिया, जो कांग्रेस पालियामेन्ट्री पार्टी (सी.पी.पी.) की चेयरपर्सन भी हैं, ने कहा, "हम सबको बहुत प्रसन्नता एवं गर्व है।"

राहुल, जो लोकसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, ने सोशल मीडिया की पोस्ट में लिखा, "प्रियंका, हमें तुम पर गर्व हैं।"

कांग्रेस अध्यक्ष तथा राज्य सभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने "एक्स" पर एक पोस्ट में कहा कि वे (प्रियंका) संसद में देश की जनता, खासतौर से महिलाओं की सशक्त आवाज बनेंगी।

खड़गे ने कहा कि उनके सक्षम नेतृत्व, संवेदनशीलता, साहस, शालीनता तथा दृढ़ता एवं संविधान के सिद्धान्तों के प्रति दृढ़ निष्ठा से देश की जनता का लाभ होगा।

प्रियका गांधी के शपथ ग्रहण पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुये, कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने इसे एक ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा, "यह एक ऐतिहासिक क्षण है, जब प्रियंका जी संसद में प्रवेश कर रही हैं।.."

कांग्रेस नेता तथा केरल से उनके साथी सांसद शशि थरूर ने इस अवसर पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुये, शपथ-ग्रहण के लिये केरल-निर्मित साड़ी पहनने के लिये उनकी प्रशंसा की। सदन के बाहर, थरूर ने कहा, "मुझे बड़ी खुशी है कि हमने उनका प्रचार किया था। मुझे बड़ी खुशी है कि वे विजयी हुईं।.. और जैसा कि आप देख सकते हैं कि वे बड़े सलीक़े से केरल साड़ी पहने हुये हैं।"

प्रियंका के अलावा, कांग्रेस नेता रवीन्द्र वसंतराव चव्हाण ने भी लोकसभा में सांसद की शपथ ली। चव्हाण नाँदेड़ उपचुनाव में विजयी रहे, जहाँ उन्होंने भाजपा प्रत्याशी डॉ. मारूतराव हमबार्डे को 1,457 वोटों के मामूली अन्तर से हराया था।

ये दोनों उपचुनाव जीत कांग्रेस को लिये मनोबल बढ़ाने वाली जरूर रही, इनके अलावा तो यह चुनावी दौर उसके लिये निराशाजनक ही रहा है क्योंकि महाराष्ट्र विधान सभा चुनावों में तो शानदार अतीत वाली यह पार्टी 16 सीटों पर सिमट गई है।

बांग्लादेश में वकील की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चिन्मय दास ने यूनुस सरकार से कहा है कि वह हिंसा एवं अनिश्चितता से हिन्दू समुदाय की रक्षा करे। लूटपाट करने वाली भीड़ ने बहुत सारे लोगों की हत्या तक कर दी है।

स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर हो गई है कि आम लोग भी स्वयं को संकट में महसूस कर रहे हैं तथा समाधानों की तलाश में हैं। पूर्व प्रधानमंत्री के पलायन के बाद, लगातार हिंसा तथा उपद्रव -उत्पात के चलते देश की अर्थव्यवस्ता को जबरदस्त आघात पहुंचा है।

बांग्लादेश, जो रेडीमेड कपड़ों के निर्यात के सहारे जीवित था, अब पश्चिम के निर्यात मार्केट में बुरी तरह नीचे गिर चुका है तथा इसका लाभ अन्य देश, जिनमें वियतनाम सर्वाधिक प्रमुख है, उठा रहे हैं। बांग्लादेश से होने वाला रेडीमेड गारमेन्ट्स का निर्यात बिल्कुल ठप सा हो गया है, जबकि इसी के जरिये यह देश सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कमाया करता था। आगामी महीनों में, मुहम्मद यूनुस की सरकार के सामने एक और बड़ी परेशानी एवं बाधा और आने वाली है। यूनुस ने अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प पर उस समय व्यंग्य करते हुये, उनकी जमकर निन्दा की थी, जब वे अमेरिका की सत्ता के आस-पास भी नजर नहीं आ रहे थे। ट्रम्प ने इस बात को सहजता से नहीं लिया है। ऐसी आशंका है कि अपने पद का कार्य-भार संभालने के बाद, ट्रम्प बांग्लादेश को सबक सिखाना जरुर चाहेंगे।

ऐसा माना जा रहा है कि एक बार ट्रम्प अपना पद संभाल लें, उसके बाद, अमेरिका की नई सरकार बांग्लादेश के मामले में कार्यवाही करने का कोई अलग ही रास्ता अपनायेगी। स्थितियाँ ऐसी दिखाई दे रही हैं बांग्लादेश की सत्ता में शीघ्र ही कोई बड़ा परिवर्तन होगा।

मार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, **जयपुर कार्यालय:** सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, **कोटा कार्यालय :** पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, **उदयपुर कार्यालय:** आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, **अजमेर कार्यालय:**-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, **जालोर कार्यालय :-** जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 **हिण्डौनसिटी कार्यालय :-** जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 **चूरू कार्यालय :** एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908